

20891
19.7.04



बिहार राज्य आवास बोर्ड

प्रधान कार्यालय, 8 सरदार पटेल मार्ग, षटना- 800 015

पत्रावरण

संचिका संख्या : ५०-१२ ५७०/५७०-०७/२००४

संचिका विषय : बिहार राज्य आवास बोर्ड की २००४
वर्ष दिनांक १९-७-०४ के (संलग्न)



बिहार राज्य आवास बोर्ड के 2089/-
 बैंक दि. 19.7.04 के बखत के

सुधकर/सचिव

अवधीत निवेशिका के
 2089/- बैंक दि. 19.7.04 के 5.00 P.M.
 बैंक बल के पत्र का साथ अलाकाय
 अनुमादना के समान प्रि. व.

17/7/04

17/7

का/का
 17/7

2089/-
 17/7

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 208वीं बैठक, दिनांक- 19.07.2004 की कार्यवाही :-
 उपस्थिति :-

2425
20/7/04

- | | | | |
|----|------------------------------|--|----------------|
| 1. | श्री अरुण कुमार सिंह | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना | अध्यक्ष |
| 2. | श्री ऋषि शंकर सिंह | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना
(वित्त आयुक्त के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 3. | श्री रामा शंकर चौधरी | मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना | सदस्य |
| 4. | श्री विजय कुमार शर्मा | सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना | सदस्य |
| 5. | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव | विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
(मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 6. | श्री दीपक कुमार झा | उप प्रबंधक (विशेष आमंत्रित) हडको,
पटना बिहार, | विशेष आमंत्रित |
| 7. | श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव | भू-सम्पदा पदाधिकारी (विशेष आमंत्रित)
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना | विशेष आमंत्रित |

कार्यावली संख्या	विषय	निर्णय
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 207वीं बैठक, दिनांक-10.07.04 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।	कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी ।
2.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या सी0डबलू0जे0सी0 संख्या 4449/2004 एवं एम0जे0सी0-1114/2004 डा0 एस0एन0 उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.6.2004 एवं 14.07.2004 के सुनवाई के संबंध में ।	सी0डबलू0जे0सी0 संख्या-6929/1999 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 07.08.2003 को पारित आदेश के आलोक में श्री एस0एन0 उपाध्याय के आवेदन पर बोर्ड द्वारा पुनर्विचार किया गया । इस संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार किया गया । तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री एस0एन0 उपाध्याय को मध्यम आय वर्गीय मकान संख्या-1, लोहियानगर, ककड़बाग में (आवटित किया जाय) । बोर्ड के सामान्य शर्त एवं बंधेज के तहत यह भी निर्णय हुआ कि यह मामला किसी अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बोर्ड की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

32
(अरुण कुमार सिंह)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम
की धारा-8(11) के अंतर्गत)

ज्ञाप संख्या-
प्रतिलिपि
हेतु प्रेषित ।

2425

पटना, दिनांक- 20/7/04

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई

9

सचिव

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 208वीं बैठक, दिनांक- 19.07.2004 की कार्यवाही :-
उपस्थिति :-

1.	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	अध्यक्ष
2.	श्री ऋषि शंकर सिंह	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (वित्त आयुक्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
3.	श्री रामा शंकर चौधरी	मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार शर्मा	सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	सदस्य
5.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	विशेष पदा० के तकनीकी सलाहकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	श्री दीपक कुमार झा	उप प्रबंधक (विशेष आमंत्रित) हडको, पटना बिहार,	विशेष आमंत्रित
7.	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव	भू-सम्पदा पदाधिकारी (विशेष आमंत्रित) बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	विशेष आमंत्रित

कार्यावली संख्या	विषय	निर्णय
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 207वीं बैठक, दिनांक-10.07.04 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।	कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी ।
2.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 4449/2004 एवं एम०जे०सी०-1114/2004 डा० एस०एन० उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.6.2004 एवं 14.07.2004 के सुनवाई के संबंध में ।	सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-6929/1999 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक- 07.08.2003 को पारित आदेश के आलोक में श्री एस०एन० उपाध्याय के आवेदन पर बोर्ड द्वारा पुनर्विचार किया गया । इस संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार किया गया । तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री एस०एन० उपाध्याय को मध्यम आय वर्गीय मकान संख्या-1, लोहियानगर, ककड़बाग में बोर्ड के सामान्य शर्त एवं बंधेज के तहत आवंटित किया जाय । यह भी निर्णय हुआ कि यह मामला किसी अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा ।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बोर्ड की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
 (बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम
 की धारा-8(11) के अंतर्गत)

ज्ञाप संख्या-
 प्रतिलिपि
 हेतु प्रेषित ।

2425

पटना, दिनांक- 20/7/04

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

सचिव, 19/7/04

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।

(331)

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।

कार्यावली संख्या- 02

बोर्ड की 208वीं बैठक दिनांक 19.7.2004

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या सी०डबलू०जे०सी० संख्या 4449/2004 एवं एम०जे०सी०-1114/2004 डा० एस०एन० उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.6.2004 एवं 14.07.2004 के सुनवाई के संबंध में ।

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 207वीं बैठक दिनांक 10.7.2004 के कार्यावली संख्या-2 पर सदस्यों द्वारा विचार किया गया कि वैधिक परामर्श के आलोक में लोहियानगर, पटना स्थित मध्यम आय वर्गीय मकान संख्या-1, हनुमाननगर, पटना स्थित मध्यम आय वर्गीय मकान संख्या-43 एवं 192, इन तीनों मकानों के बीच हुए डा० एस०एन० उपाध्याय के उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से आवंटन की कार्रवाई की जाय ।

2- बोर्ड के उक्त निर्णय से माननीय उच्च न्यायालय को अतिरिक्त कारण पृच्छा के माध्यम से दिनांक-14.07.2004 को अवगत कराया गया । परन्तु माननीय उच्च न्यायालय बोर्ड के उक्त कार्रवाई पर असंतोष प्रकट किया और इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया । फलतः बोर्ड द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु समय की प्रार्थना की गयी जिसे स्वीकार करते हुए अगली तिथि दिनांक-21.07.2004 निर्धारित की गयी ।

इस बीच प्रश्नगत मामले में कार्यरत बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा परामर्श दिया गया है कि " In my opinion, the Board, in due ^{deference} ~~reference~~ to the Hon'ble Court, may opt for other alternatives as aforesaid with a view to purge out of the contempt including allotment of MIG House No.-1, Lohianagar. "

उपर्युक्त वैधिक राय के आलोक में डा० उपाध्याय को मध्यम आय वर्गीय मकान आवंटन करने के बिन्दु पर निर्णय प्रार्थित है ।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य
आवास बोर्ड के आदेश से,

सचिव

~~बोर्ड द्वारा पूर्व में दिनांक 10-7-2004 को लिये गये निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चली अवमानना के आलोक में पुनर्विचार किया जाय। तत्पुनः विषय पर पुनर्विचार करते हुए श्री एस० एन० उपाध्याय को एम० आई० जी०-1 लोहियानगर, कंठबाग में आवंटित करने का निर्णय हुआ। बोर्ड के सामान्य शर्त एवं बंधन के तहत यह भी निर्णय हुआ कि यह मामला किसी अन्य मामलों में पूर्वोदाहरण नहीं माना जायगा।~~

सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०-6929/2003¹⁹⁹⁸ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-8-2003 को पारित आदेश के आलोक में श्री एस० एन० उपाध्याय के आवेदन पर बोर्ड द्वारा पुनर्विचार किया गया इस संबंध में बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय पर भी पुनर्विचार किया गया। ¹⁹⁹⁸ बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ✓ ←

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 208वीं बैठक, दिनांक-19.07.2004 की कार्यवाही की विषय सूची

- 1- बिहार राज्य आवास बोर्ड की 207वीं बैठक, दिनांक-10.07.2004 की कार्यवाही की सम्युक्ति ।
2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या सी०डबलू०जे०सी० संख्या 4449/2004 एवं एम०जे०सी०-1114/2004 डा० एस०एन० उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 23.6.2004 एवं 14.07.2004 के सुनवाई के संबंध में ।

बिहार राज्य आवास बोर्ड की 207वीं बैठक, दिनांक- 10.07.2004 की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1.	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	अध्यक्ष
2.	श्री ऋषि शंकर सिंह	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (वित्त आयुक्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
3.	श्री रामा शंकर चौधरी	मुख्य नगर निवेशक, बिहार, पटना	सदस्य
4.	श्री विजय कुमार शर्मा	सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	सदस्य
5.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	विशेष पदा० के तकनीकी सलाहकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	श्री एस० हक	उप प्रबंधक (विशेष आमंत्रित) हडको, पटना बिहार,	विशेष आमंत्रित
7.	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव	भू-सम्पदा पदाधिकारी (विशेष आमंत्रित) बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	विशेष आमंत्रित

कार्यावली संख्या	विषय	निर्णय
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड की 206वीं बैठक, दिनांक-01.07.04 की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।	कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी ।
2.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-4449/2004 डा० एस०एन० उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-23.06.2004 को पारित आदेश के संबंध में ।	<p>पूर्व बैठक के निर्णयानुसार अधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य निम्न है :- " Perused the records and discussed the matter with the conducting counsel and representative of the Board. In earlier writ application CWJC 11366/1994 disposed on 15.7.1997 the instant writ petition had also claimed a specific House MIG-1 Lohia Nagar, Patna. The Hon'ble court had categorically had that writ could not be issued to allot a specific house. However the petitioner's claim of an allotment of MIG house in intact. Now that there are three MIG Houses available according to the rules of allotment, the houses can be put to lottery by way of reconsideration.</p> <p align="right">उक्त मंतव्य के आलोक में सदस्यों द्वारा</p>


 137

निर्णय लिया गया कि लोहियानगर, पटना स्थित एम0आई0जी0 मकान संख्या-1 हनुमाननगर, पटना स्थित एम0आई0जी0 मकान संख्या-43 एवं 192, इन तीनों मकानों के बीच एक मकान लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि लॉटरी श्री उपाध्याय के उपस्थिति में की जाय तथा इसके लिए जो भी तिथि निर्धारित होगी उसकी सूचना श्री उपाध्याय को दे दी जाय ।

अध्यक्ष के घन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बोर्ड की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

ह0/-

(अरुण कुमार सिंह)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम
की धारा-8(1) के अंतर्गत)

ज्ञाप संख्या-

2333

पटना, दिनांक-

13/7/04

प्रतिलिपि
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक


सचिव

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना ।

संख्या- ५०-१-७१० ७३०-०७/२००९
बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना। २५०१

प्रधान, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

की निम्न सूची के सम्बन्ध में,
तृतीय।

विभाग,

विभाग आयुक्त, बिहार, पटना।

सचिव, आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

विशेष सचिव, योजना विभाग, बिहार सरकार, पटना।

प्रधान निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

मुख्य मन्त्र निदेशक, बिहार, पटना।

मुख्य इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, बिहार, पटना।

मुख्य इंजीनियर, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।

तृतीय, बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना।

पटना, दिनांक- 17/7/09
आवास बोर्ड

विषय:- बिहार राज्य आवास बोर्ड की 200 वीं बैठक, दिनांक- 19.7.2009

महत्त्व।

निर्देशानुसार आयुक्त विभाग बिहार राज्य आवास बोर्ड की 200वीं आवास बोर्ड की बैठक, दिनांक -19.7.2009 को 3.00 बजे उपस्थित होने की सूचना में आवास की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

अतः विभाग की महत्त्व को देखते हुए सूचना पत्र में कार्यवाही की सूचना दी जाय।

विभागाध्यक्ष,

तृतीय।

संख्या- 2401 पटना, दिनांक- 17/7/09

प्रतिलिपि अप सचिव, आवास विभाग, बिहार पटना।

इसको प्रतिनिधि, बिहार पटना को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापसंख्या -

2407

पटना, दिनांक - 17/11/64

प्रतिलिपि बोर्ड मुख्यालय के सहाय पदाधिकारी एवं

प्रशासकी पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना को सूचनाएँ

एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


17/11
स चि व ।